

सं०सं०-17/अग्रिम 01-01/2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,
भागलपुर।

पटना, दिनांक :- / /2026

विषय :-

डा० अमित कुमार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या-BHR/BHS-7285 से अपनी पुत्री के विवाह हेतु 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये अप्रत्यर्णीय अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1127 दिनांक-15.03.2017 एवं बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन-2) नियमावली, 2017 के कंडिका 4 नियम-15 2 (ख) एवं 3 (ख) के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में पुत्री की शादी के निमित्त अप्रत्यर्णीय अग्रिम की स्वीकृति।

2. डा० कुमार वित्त विभागीय संकल्प सं०-7730 (वि०) दिनांक 18.07.1964 में निहित सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्णीय अग्रिम निकासी की स्वीकृति संबंधी सभी अनुबंधों/शर्तों को पूरा करते हैं।
3. डा० कुमार को उपर्युक्त अप्रत्यर्णीय अग्रिम की निकासी के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 12443/वि० दिनांक 05.10.1972 के अनुसार महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की अनिवार्यता नहीं है।
4. डा० कुमार को उपर्युक्त अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जॉच पत्र पर अनुमोदित राशि में से इसके पूर्व किसी प्रकार की अग्रिम निकासी नहीं की गई हो।
5. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेणु कुमारी)


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/ अग्रिम 01-01/2026- 301(17) /पटना, दिनांक- 09/03 /2026

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना, पिन कोड-800001/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/डा० अमित कुमार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
Mks